

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)
विविध आदेश

क्रमांक-101(एक-दो-01)07

सागर, दिनांक: 23.11.2024

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 33/(एक-दो-01)07 दिनांक 10.04.2024 एवं प्रभार आदेश क्रमांक 34/(एक-दो-01)07 दिनांक 10.04.2024 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुये निम्न आंशिक संशोधन करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है। (04)
1.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शाहगढ़ जिला सागर (श्री मानवेन्द्र सिंह)	तहसील शाहगढ़	<p align="center">व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 4. तहसील शाहगढ़ से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 5. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 6. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 7. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/वरिष्ठ खण्ड शाहगढ़ (कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य प्रकरण) (श्रृंखला न्यायालय सहित), जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 8. तहसील क्षेत्र शाहगढ़ से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
2.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा (श्री आशीष कुमार मथोरिया)	तहसील मुख्यालय बण्डा एवं शाहगढ़	<p align="center">व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. पूर्व में पदस्थ रहे ऐसे समस्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा एवं वरिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय

			<p>शाहगढ़ (कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के न्यायालय, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण। 5. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो। 6. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 7. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के 8. तहसील क्षेत्र बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
3.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना जिला सागर (श्री मृदुल जैन)	तहसील बीना	<p style="text-align: center;">व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 2,50,000/- अंकन दो लाख पचास हजार रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 4. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 5. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 6. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बीना, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 7. तहसील क्षेत्र बीना से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
4.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना जिला सागर (श्रीमती सलोनी जैन)	तहसील बीना	<p style="text-align: center;">व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 2,50,001/- अंकन दो लाख पचास हजार एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. तहसील बीना से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 4. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश बीना, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां

प्रभार आदेश:-

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शाहगढ़	प्रथम प्रभार- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बण्डा । द्वितीय प्रभार-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बण्डा । तृतीय प्रभार-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा । उपरोक्त की अनुपस्थिति में वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड सागर
2.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना	प्रथम प्रभार- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना । द्वितीय प्रभार- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बीना । तृतीय प्रभार-अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना । उपरोक्त की अनुपस्थिति में वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड खुरई ।
3.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना	प्रथम प्रभार- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना । द्वितीय प्रभार- अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बीना । तृतीय प्रभार-व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना । उपरोक्त की अनुपस्थिति में वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड खुरई ।

- नोट:- 1. उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन/प्रभार आदेश यथावत रहेगा ।
2. उक्त आदेश संबंधित नवीन न्यायाधीशगण के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से लागू एवं प्रभावशील होगा ।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 6016 (एक-दो-01)07

सागर दिनांक: 23.11.2024

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. पंजीयन अनुभाग बीना/शाहगढ़ ।
3. निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बीना/शाहगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

23.11.2024

